

विवरण

पिछले तीन महीनों अर्थात् अगस्त-अक्टूबर, 1992 के दौरान मारे गये
छापों की संख्या और गेहूं चावल की बरामद की गई मात्रा

क्रम सं०	राज्य/संघ शासित प्रदेश	मारे गए छापों की संख्या	गेहूं/चावल की बरामद की गई मात्रा
1	2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश	2635	गेहूं 35 क्विंटल, चावल 551 क्विंटल
2.	अरुणाचल प्रदेश	शून्य	--
3.	अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह	181	--
4.	दिल्ली	5	गेहूं 120 बोरी चावल 152 बोरी
5.	गुजरात	73	गेहूं 734.10 क्विंटल चावल 1,095.89 क्विंटल
6.	हरियाणा	133	गेहूं 309 क्विंटल जौ 46 क्विंटल
7.	लक्षद्वीप	कोई छापा नहीं मारा गया	--
8.	महाराष्ट्र	1819	गेहूं 229 क्विंटल चावल 278 क्विंटल
9.	मणिपुर	शून्य	--
10.	उड़ीसा	357	गेहूं 190 क्विंटल 21 किलोग्राम, चावल 1702 क्विंटल 91 किलो- ग्राम, धान 6336 क्विंटल
11.	पांडिचेरी	5	36 किलोग्राम, गेहूं 92 बोरी
12.	राजस्थान	820	गेहूं 789 क्विंटल
13.	तमिलनाडु	2726	गेहूं 1459.55 क्विंटल चावल 11528.78 क्विंटल

भारतीय खाद्य निगम द्वारा उत्तर प्रदेश में
गेहूं और चावल की खरीद

1839. श्री राम नरेश यादव : क्या
खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष के दौरान अब तक
भारतीय खाद्य निगम द्वारा उत्तर प्रदेश के
विभिन्न जिलों से कितनी मात्रा में गेहूं और
चावल खरीदा गया ; और

(ख) गेहूं और चावल किस-किस भाव
में खरीदा गया और उनकी दूसरे राज्यों को
किस-किस भाव पर आपूर्ति की गई और
इससे सरकार को कितने प्रतिशत लाभ हुआ ?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री श्री तरुण
गोगोई : (क) उत्तर प्रदेश में विभिन्न
कृषि केन्द्रों/मंडियों में 1992-93 के वर्तमान
संगत रबी/बरीफ विपणन मौसमों के दौरान
30-11-1992 तक गेहूं और चावल

(चावल के हिसाब से धान सहित) की निम्न-लिखित मात्राएँ वसूल की गई हैं :—

(मात्रा हजार मीटरी टन में)

एजेंसी	गेहूँ	चावल
भारतीय खाद्य निगम	18	—
राज्य एजेंसियाँ	401	243
सहकारी संघ	61	—
उपभोक्ता सहकारी संघ	17	—
जोड़	497	243

(ख) वर्तमान रबी विपणन मौसम 1992-93 के दौरान गेहूँ का वसूली मूल्य 275/- रुपये प्रति क्विंटल था जिसमें 250/- रुपये प्रति क्विंटल का न्यूनतम समर्थन मूल्य और केन्द्रीय सरकार द्वारा पहली अप्रैल से 30 जून, 1992 तक अदा किया गया 25/- रुपये प्रति क्विंटल का प्रोत्साहन बोनस शामिल है।

धान की साधारण किस्म के लिए 270/- रुपये प्रति क्विंटल बढ़िया किस्म के लिए 280/- रुपये प्रति क्विंटल और उत्तम किस्म के लिए 290/- रुपये प्रति क्विंटल का न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित किया गया है। उत्तर प्रदेश के लिए लेवी चावल की सुपुर्दगी हेतु चावल मिल मालिकों को देय लेवी चावल के वसूली मूल्य साधारण किस्म के लिए 441.30 रुपये प्रति क्विंटल, बढ़िया किस्म के लिए 456.50 रुपये प्रति क्विंटल और उत्तम किस्म के लिए 482.50 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किए गए हैं।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए 28-12-1991 से प्रभावी गेहूँ और चावल के वर्तमान केन्द्रीय निर्गम मूल्य (भारतीय खाद्य निगम के गोदाम से) देश भर में एक-समान हैं और वे इस प्रकार हैं :—

(रुपये प्रति क्विंटल)

गेहूँ	चावल
साधारण बढ़िया	उत्तम
280.00 377.00 437.00 458.00	

केन्द्रीय निर्गम मूल्य भारतीय खाद्य निगम की इकनामिक लागत से कम निर्धारित किए जाते हैं और इस बजट से सरकार को भारी मात्रा में खाद्य राशियाँ गहायता वहन करनी पड़ती हैं। अतः इससे सरकार द्वारा मुनाफ़ा कमाने का प्रयत्न ही नहीं उठता।

भारतीय खाद्य निगम के कार्यकरण में सुधार

1840. श्री राम ब्रह्मा यादव : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औद्योगिक लागत और मूल्य ब्यूरो ने भारतीय खाद्य निगम के कार्यकरण में कतिपय सुधार करने की सिफ़ारिश की थी ;

(ख) यदि हाँ तो सरकार ने इस सिफ़ारिशों पर क्या कार्यवाही की है; और

(ग) यदि नहीं, तो इन सिफ़ारिशों को स्वीकार न करने के क्या कारण हैं ?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तबराज गोमोई) : (क) : जी हाँ।

(ख) और (ग) सरकार ने औद्योगिक लागत और मूल्य ब्यूरो द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट का अध्ययन करने के लिए एक उच्च शक्ति प्राप्त समिति का गठन किया था। सरकार ने इस समिति की सिफ़ारिशों की ओर ध्यान दिया है। व्यवहार में यदि कोई कुछ सिफ़ारिशों को छोड़कर अधिकांश सिफ़ारिशों को स्वीकार कर लिया गया है।

बीबी मिलों के लिए नए

दिसा-निर्देश

1841. श्री राम सिंह राठवा : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने बीबी मिलों के संबंध में राज्य सरकारों को कोई दिशा-निर्देश दिए हैं; और

(ख) यदि हाँ तो इन दिशा-निर्देशों की मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं ?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तबराज गोमोई) : (क) और (ख) कई बीबी मिलें नए/बहुतेरे क्षेत्रों में बिस्तार के